

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय बलियापुर प्रखण्ड

जमाबंदी रोल अभिलेख क्रमांक 228 2016-17

विहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 30 के तहत जोर  
रख कारवायु में संशोधन

23/7/16

आरक्षण सरकार के आदेश-2074/80 दिनांक 13/05/2016 सहयोगित की अनुसूचित  
मूल्यांकन विवरण नू-अर्जम-सह-विशेष संशोधन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एच  
एच-3-आयन/निर्देश-119/85/2308/80 दिनांक 03/09/1985 एवं सह-पत्रित राजस्व  
विभागिय परिपत्र सं-914/80 दिनांक 09/12/1998 में नोटिस निवेदन के अनुपालन में  
गैरमजकूत खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों को जीव प्रारम्भ की गई। जीव के  
क्रम में इतका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि निम्नलिखित  
जमाबंदी की भूमि -

संज्ञा बड़ाबहा धाना नं० 182 खाना सं० 62 प्लॉट नं०  
रकबा 2.00 एकड़ भूमि जो गैरमजकूत खास अमाबाद विहार  
(आरक्षण) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस संज्ञा के तहत -  
जमाबंदी रोल खुल वी शालीग्राम बहा  
की नाम में कायम है।

इतका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अनुपालन उपयुक्त विवरणों की भूमि के  
विस्तृत कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिबंधित किया गया है।

इतका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जीव प्रतिबंधन से प्रतीत होता है  
कि उपयुक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अर्पण बदावस्ती के आधार  
पर/अर्पण कोषाकर बन्दावस्ती के आधार पर/अर्पण लगान निर्धारण के आधार पर/संज्ञा  
हुसुम्नामा के आधार पर कायम की गई है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का हित  
कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त विवरणों की जमीन की मूल्यांकन  
जमाबंदी अर्पण प्रतीत होती है जिसका विहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 30  
के तहत जीव किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।

अतः संबंधित जमाबंदी रोल को नोटिस निवेदन एवं उपयुक्त नू-खण्ड में संबंधित  
नू-कर्मचारी/निर्देश लगान बसोड की नाम कर तथा उनकी कायम पृष्ठा करे कि इतका  
उक्त जमाबंदी को अर्पण मानते हुए विहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 30  
के तहत सक्षम प्रतिबंधन को रद्द करने हेतु अनुसूचित किया जाए।

अभिनेत दिनांक को उपस्थित करें।

संशोधित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी  
बलियापुर

  
23/7/16  
अंचल अधिकारी  
बलियापुर


1. जमाबंदी रोल में संशोधन  
2. जमाबंदी रोल में संशोधन  
3. जमाबंदी रोल में संशोधन

9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खन्निवान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद को भेजे।

  
अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

